



JAN SAMRIDHI CO-OP (URBAN) THRIFT & CREDIT SOCIETY LTD.

Regd. Office : Shop No. 11/4, 11/5, Tyagi Market, Gupta Enclave, Vikas Nagar, New Delhi-110059

मासिक

Affix your
Colour
Photograph
Here With Self
Attested

अवधि : 36 महीने ☐ 48 महीने ☐ 60 महीने ☐

महोदय,
मैं आपकी मासिक योजना में खाता खोलने के लिए आवेदन करता/करती हूँ।

सदस्यता संख्या

--	--	--	--	--	--	--	--

खाता खुलने की तिथि

--	--	--	--	--	--	--	--

खाता संख्या

--	--	--	--	--	--	--	--

डिनोमिनेशन मूल्य रु०

--	--	--	--	--	--	--	--

मेरा विवरण इस प्रकार है:-

पूरा नाम

श्री/श्रीमती/कुमारी.....

जन्म तिथि

--	--	--	--	--	--	--	--

उम्र

--	--

जीविका वृत्ति

--

नौकरी

--

विद्यार्थी

--

व्यवसाय

--

ग्रहणी

--

पिता/पति का नाम.....

पता : मकान नं०.....

राज्य.....

पिन कोड.....

मोबाईल नं०.....

इन्ट्रोडूसर का नाम.....

प्रथम उत्तराधिकारी का नाम.....

संबन्ध

उम्र.....

अनुपात (%).....

द्वितीय उत्तराधिकारी का नाम.....

संबन्ध

उम्र.....

अनुपात (%).....

जमा का प्रकार : शब्दों में रु.....

नगद/चेक/ड्राफ्ट संख्या द्वारा.....

दिनांक.....

आहरण (बैंक का नाम एवं शाखा).....

पहचान

--

विद्युत बिल

--

टेलीफोन बिल

--

आधार कार्ड नं०

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ड्राईविंग लाईसेंस

--

पेन कार्ड

--

उपरोक्त के अतिरिक्त अगर कोई और विवरण हो

सदस्य का हस्ताक्षर

इन्ट्रोडूसर का हस्ताक्षर

नियम एवं शर्तें

1. खाते का आरम्भ :

न्यूनतम मूल्य रु० 500/- प्रति माह और आगे रु० 500/- के गुणांक पर खाता आरम्भ किया जायेगा।

2. सोसायटी किसी भी आवेदन पत्र को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार रखती है।

3. किस्तें जमा करने की विधि :

कैश अथवा आनलाईन माध्यम से सदस्य खाताधारी भुगतान कर सकता है।

4. वह सदस्य खाताधारी जिस खाते को नियमित रूप से नहीं चलाता है उसे अनियमित खाता माना जायेगा। समय से किस्तों की प्राप्ति न होने के कारण एवं परिणाम-स्वरूप निवेश के अवसर में होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए सोसायटी तरलता क्षति (लिक्विडिटी डेमेज) की कटौती इन अनियमित खातों पर करेगी। सदस्य खाताधारी को भुगतान किये जाने वाले ब्याज में से तरलता क्षति (लिक्विडिटी डेमेज) की कटौती अथवा उसके सापेक्ष समायोजन किया जायेगा। सदस्य खाताधारी द्वारा जमा मूल धन में से किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जायेगी। अतः अवधि पूरी होने पर मैच्योरिटी के समय इन खातों का भुगतान सोसायटी के अधिकृत कार्यालय पर उपलब्ध चार्ट के अनुसार किया जायेगा।

5. दो उत्तराधिकारी (डबल नामिनी) सिस्टम :

सदस्य खाताधारी अपनी इच्छानुसार प्रत्येक उत्तराधिकारी को प्राप्त होने वाली रकम का औसत निर्धारित करते हुए दो उत्तराधिकारी नियुक्त कर सकता है, परन्तु इसके लिए उसे खाता आरम्भ करते समय ही घोषणा करनी होगी।

6. जमा धन के सापेक्ष लोन :

- सदस्य खाताधारी जिन्होंने न्यूनतम 36 माह की अवधि का खाता खुलवाया है उसको 12 महीने की किस्तें जमा होने के बाद 75% लोन ले सकता है। तथा 24 महीने की किस्तें जमा होने के बाद 100% लोन ले सकता है। जिस पर 11% (त्रैमासिक चक्रवृद्धि) ब्याज लिया जायेगा।
- सदस्य खाताधारी जिन्होंने न्यूनतम 48 माह की अवधि का खाता खुलवाया है उसको 12 महीने की किस्तें जमा होने के बाद 75% लोन ले सकता है। तथा 24 महीने की किस्तें जमा होने के बाद 100% लोन ले सकता है। जिस पर 12% (त्रैमासिक चक्रवृद्धि) ब्याज लिया जायेगा।
- सदस्य खाताधारी जिन्होंने न्यूनतम 60 माह की अवधि का खाता खुलवाया है। उसको 12 महीने की किस्तें जमा होने के बाद 75% लोन ले सकता है। तथा 36 महीने की किस्तें जमा होने के बाद 100% लोन ले सकता है। जिस पर 12% (त्रैमासिक चक्रवृद्धि) ब्याज लिया जायेगा।

7. मैच्योरिटी :

सदस्य खाताधारी मैच्योरिटी फार्म को भरकर सोसायटी को देगा और निम्नलिखित ब्याज के अनुसार उस सदस्य खाताधारी का भुगतान किया जायेगा यदि निर्धारित अवधि के पश्चात् भुगतान लिया जाता है तो परिपक्वता (मैच्योरिटी एमाउण्ट) पर कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं दिया जायेगा।

8. क. सरकारी नीतियों में समय-समय पर होने वाले परिवर्तनों या किसी अन्य कारणों से होने वाले परिवर्तनों को सोसायटी के सूचना बोर्ड के माध्यम से अथवा ए.जी.एम. द्वारा सोसायटी कभी भी इन नियमों में परिवर्तन रूपान्तर समापन अथवा संशोधन कर सकती है।

ख. सोसायटी जमा धन की घोषित परिपक्वता अवधि से पूर्व भी पूर्ण की गई अवधि पर लागू ब्याज दर देते हुए भुगतान करने का अधिकार रखती है।

ग. जमा धनराशि इस अनुबन्ध के साथ स्वीकार्य है कि सदस्य खाताधारी समस्त हस्ताक्षर एवं उस मौजूद सत्यापन की मौलिकता, वैधता एवं शुद्धता तथा उनकी धनराशि के स्रोत के लिए पूरी जिम्मेदारी ग्रहण करता है।

घ. सदस्य खाताधारी का मैच्योरिटी/लोन भुगतान केवल रेखांकित (एकाउण्टपेयी) चेक, नेफ्ट अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से किया जायेगा।

9. विवाचन (आर्बीट्रेशन) :

कोआपरेटिव सोसायटी एवं सदस्य खाताधारी के मध्य किसी विवाद की स्थिति में इसका निर्णय विवाचन (आर्बीट्रेशन) द्वारा सोसायटीज एक्ट 2003, 2007 के अनुसार होगा। विवाचन की कार्यवाही एवं एवार्ड से उत्पन्न समस्त कार्यवाहियां दोनों पक्षों पर बाध्य होगा।

खाते से संबंधित उल्लिखित सभी बातों से जो मुझे मेरी ज्ञात भाषा में पूरी तरह समझा दी गयी है, पूरी तरह अवगत होते हुए मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे सभी विवरण सत्य हैं। मैं घोषणा करता/करती हूँ कि सोसायटी के सभी नियमों/उपनियमों का सहर्ष पालन करूंगा/करूंगी एवं खाते के नियम अवधि एवं शर्तों के विरुद्ध किसी अन्य प्रकार की सिफारिश नहीं करूंगा/करूंगी। मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी सभी सूचनायें/व्यक्तिगत विवरण मेरी जानकारी के विश्वास के अनुसार पूर्ण सत्य है।

सदस्य का हस्ताक्षर

उपयुक्त लिखित सभी बातें मैंने सदस्य को उसकी ज्ञात भाषा में स्पष्ट रूप से समझा दी है एवं सदस्य ने खाते के उपरोक्त वर्णित नियम व शर्तों के अनुसार खाते का सदस्य बनने की पूर्ण सहमती दी है।

आगे मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि सदस्य द्वारा की गयी समस्त घोषणायें एवं समस्त सूचना/व्यक्तिगत विवरण जो यहां सदस्य द्वारा दिये गये हैं, मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार पूर्णतः सही एवं सत्य है।

इन्द्रोडयूसर का नाम.....

इन्द्रोडयूसर का हस्ताक्षर.....